(37)

XXVIII—(a)-1
Co-op. (H.)

पंजीयक का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) की धारा ७ के अन्तर्गत विश्वकर्मा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, इन्दौर समिति के पंजीयन के लिए दिया गया प्रार्थना-पत्र स्वीकृत कर लिया गया है तथा अधिनियम की धारा ९ के अन्तर्गत, समिति के पंजीकृत उप-नियमों में विहित उपबन्धों के अधीन, उक्त समिति का पंजीयन किया गया है।

उप पंजीयक

सहायक/उप/संयुक्त पंजीयक,
सहकारी समितियां

दिनांक २० अगस्त, १९७४

पंजीयन क्रमांक डीआर/आयडीआर/५२१

...पाशासप्र-१०-१६-२०-३-११-६१

कार्यालय :- उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, इन्दौर

मध्यप्रदेश शासन

पंजीयन प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ, अधिनियम, १९[illegible] (क्रमांक १७ सन् १९६१) की धारा ७ के अन्तर्गत [illegible]

[illegible]

समिति के पंजीयन के लिए दिया गया प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर लिया गया [illegible] अधिनियम की धारा ९ के अन्तर्गत, समिति के पंजीयन [illegible] के अधीन, उक्त समिति का पंजीयन किया गया है। [illegible] अधिनियम १९६० की धारा १० के अन्तर्गत संस्था को "[illegible]" संस्था के रूप में वर्गीकृत किया जाता है :

दिनांक २५/११/१९८६

[illegible]

[illegible]

उप पंजीयक
[illegible]

[illegible]

[illegible] इन्दौर

774/03-04

(25)

—४८—१ लाख—५-४८

११—(क)—५२

मुद्रांक पंजीयन/५२

प्रारूप—१ (तीन)

अंतिम अवसर, एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

[नियम ४ (१) देखिये]

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश लिखतों का न्यून-मूल्यांकन निवारण) नियम, १९७५ के नियम ४ के उपनियम (१) के अधीन विहित सूचना का प्रारूप

SIA स्वास्थ्य नगर विनय-बिहार कालोनी इन्दौर

प्रति,

कांगीलाल पि. मानसिंग अध्यक्ष
अन्नपूर्णा गृह निर्माण सह. संस्था मर्या
भागीरथपुरा इन्दौर

कृपया यह सूचना लें कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम १८९९ (१८९९ का सं. २) की धारा ४७-क की उपधारा (२) के अधीन यह प्रस्तावित है कि दस्तावेज क्रमांक 2767 ए दिनांक 20.11.02 के रूप में रजिस्ट्रीकृत लिखत के अन्तर्गत अन्तर्वलित सम्पत्ति का बाजार मूल्य तथा उपरोक्त लिखत पर देय शुल्क का अवधारण करने के लिये कार्यवाही की जाय.

(२) सम्पत्ति का बाजार मूल्य तथा लिखत पर देय शुल्क के अवधारण से संबंधित मामले की सुनवाई (तारीख) 26.8.06 में 12 बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में की जावेगी.

कलेक्टर ऑफ स्टाम्प
एवं जिला पंजीयक
कार्यालय बड़ी नं.४ इन्दौर म.प्र.)

(२) आपसे एतद्द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि आप यह दर्शाने के लिए लिखत में उल्लेखित सम्पत्तियों का बाजार मूल्य सत्यतापूर्वक उपवर्णित किया गया है. लिखत में अपनी आपत्तियां, तथा अभ्यावेदन, यदि कोई हो, सुसंगत दस्तावेज के साथ यदि यदि कोई हो, सुनवाई की तारीख को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें और यह भी उपदर्शित करें कि क्या आप कोई मौखिक साक्ष्य देने का वांछा करते हैं तथा सुनवाई के समय उपस्थित होंगे, यदि आप अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपसंजात होने के या उपदर्शित करने के लिए कि क्या आप कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य जोकि आवश्यक है देने की वांछा करते हैं या सुसंगत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के इस अवसर का लाभ उठाने में चूक करते हैं तो आगे कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा और उपलब्ध तथ्यों के आधार मामले का निपटारा कर दिया जावेगा.

कार्यालय—न्यायालय मुद्रांक संग्राहक
तथा—एवं जिला पंजीयक
स्थान बड़ी नं.४ इन्दौर म.प्र.)

कलेक्टर ऑफ स्टाम्प
इन्दौर (म.प्र.)
(मुहर)

745/-03-04

—१ लाल—१-८८

अंतिम अवसर है, एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

१९—(क)—५२
[illegible]/५२

36

प्ररूप—चार (ख)

[नियम ४ (१) देखिये]

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश लिखतों का न्यून-मूल्यांकन निवारण) नियम, १९७५ के नियम ४ के उपनियम (१) के अधीन जारी सूचना का प्ररूप "विनय विहार"

209, 217, 218, 219, 220, 222

प्रति,

मांगीलाल पुत्र नानसिंग तर्फे अध्यक्ष अमृता गृह निर्माण सह. संस्था मर्या. भागीरथ पुरा इन्दौर — स्वास्थ्य नगर विनय विहार कालोनी इन्दौर

कृपया यह सूचना लें कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम १८९९ (१८९९ का सं. २) की धारा ४७-क की उपधारा (१) के अधीन यह प्रस्तावित है कि दस्तावेज क्रमांक 2468 दिनांक 20.11.02 के रूप में रजिस्ट्रीकृत लिखत के अन्तर्गत आने वाली सम्पत्ति का बाजार मूल्य तथा उपरोक्त लिखत पर देय शुल्क का अवधारण करने के लिये कार्यवाही की जाय.

(२) सम्पत्ति का बाजार मूल्य तथा लिखत पर देय शुल्क के अवधारण से संबंधित मामले की सुनवाई (तारीख) 26.8.04 को कार्यालय मुद्रांक संग्राहक एवं जिला पंजीयक इन्दौर (मध्य प्रदेश, इन्दौर म. प्र.) में 12 बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में की जावेगी.

(३) आपसे एतद्द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि आप यह दर्शाने के लिए लिखत में उल्लेखित सम्पत्तियों का बाजार मूल्य सत्यतापूर्वक उपवर्णित किया गया है, लिखत में अपनी आपत्तियां, तथा अभ्यावेदन, यदि कोई हो, सुसंगत दस्तावेज के साथ यदि यदि कोई हो, सुनवाई की तारीख को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें और यह भी उपदर्शित करें कि क्या आप कोई मौखिक साक्ष्य देने की वांछा करते हैं तथा सुनवाई के समय उपस्थित रहेंगे, यदि आप अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपसंजात होने के या उपदर्शित करने के लिए कि क्या आप कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य जोकि आवश्यक है देने की वांछा करते हैं या सुसंगत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के इस अवसर का लाभ उठाने में चूक करते हैं तो आगे कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा और उपलब्ध तथ्यों के आधार मामले का निपटारा कर दिया जायगा.

कार्यालय— कार्यालय मुद्रांक संग्राहक
स्थान— एवं जिला पंजीयक
कार्यालय प्रदेश, इन्दौर म. प्र.)

कलेक्टर ऑफ स्टाम्प
इन्दौर (म. प्र.)

(मुद्रा)